फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

शांति बनाम रामचन्द्र व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष (प्रा. पत्र टी. आई.) 52 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी (वादी) की ओर से वाके ग्राम बिलोंची तह. आमेर जिला जयपुर स्थित आ. ख. नं. 1600 रकबा 0.50 है. जिसके साबिक खसरा नं. 328/552 रकबा 02 बीघा है, के सन्दर्भ में उक्त भूमि का प्रार्थी (वादी) को खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। प्रस्तुत वाद अधीन भूमि आ. ख. नं. 1600 रकबा 0.50 है. के साबिक खसरा नं. 328/552 रकबा 02 बीघा के सम्पूर्ण खसरा रकबा (02 बीघा) को प्रार्थीया द्वारा भूमि के एक मात्र खातेदार नोल्या पुत्र भैरू जाति रैगर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.01.98 के क्रय किया था (जो कि अप्रार्थीगण 01 ता 05 का पिता है) तथा क्रय दिनांक से ही प्रार्थीया भूमि का भौतिक कब्जा [illegible] काबिज होकर काश्त करती [illegible] है। प्रार्थीया द्वारा [illegible] अनुसार राजस्व रिकॉर्ड [illegible] प्रविष्टि किए [illegible] की प्रति पटवारी हलका को दी गई थी। जिस पर पटवारी हलका द्वारा विक्रय पत्र व मौका कब्जा अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किए जाने का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

शांति बनाम रामचन्द्र व अन्य

प्रा.पत्र टी.आई. 52/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/11/24	आश्वासन दिया जाने से प्रार्थीया द्वारा पटवारी हलका के आश्वासन पर विश्वास कर लिया गया, परन्तु पटवारी हलका द्वारा प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया। जिसका प्रार्थीया को कोई ज्ञान नहीं था। उक्त खातेदारी की आराजी पूर्व में भूदान बोर्ड की प्रविष्टि अंकित होने की वजह से प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो सका, किन्तु न्यायालय के आदेशानुसार भूदान बोर्ड का अंकन राजस्व प्रविष्टियों से समाप्त कर दिया गया है। जिसका नाजायज लाभ, भूमि के विक्रेता खातेदार नोन्दा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान अप्रार्थीगण 01 ता 05 ने उठाते हुए अविधिक रूप से स्वयं के नाम खातेदारी में इन्द्राज करवा लिया। जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण 01 ता 05 के नाम उक्त अविधिक व गलत इन्द्राज प्रविष्टी के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीया को जबरन भूमि से बेदखल कर भूमि को विक्रय किए जाने पर आमादा है। जिसके क्रम में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को दिनांक 03.08.23 को भी धमकी दी गई। जिससे प्रार्थीया को अप्रार्थीगण 01 ता 05 के नाम अंकित गलत इन्द्राज को निरस्त कराते हुए स्वयं का नाम इन्द्राज [illegible] न्यायालय हाजा में प्र[illegible] आवश्यक हुआ। [illegible] हाजा [illegible] वाद पत्र व प्रार्थना [illegible] तथ्यों के [illegible] किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति [illegible] न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत प्रक्रिया व प्रावधान अनुसार नोटिस जारी कर भी सूचित किया गया, परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद विधिवत सूचना व जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:13 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

शांति बनाम रामचन्द्र व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष (प्रा. पत्र टी.आई.) 52 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/11/24	वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. के तथ्यों का कोई समुचित / औपचारिक खंडन अथवा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई मान्य / विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रार्थीया द्वारा विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत सद्भावी क्रेता के रूप में क्रयशुदा भूमि के सन्दर्भ भाग में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाबत कोई उज्र आपत्ति अथवा किसी भी प्रकार से कोई खंडन किसी भी अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत व प्रार्थीया के हक अधिकारों के विधिक संरक्षणार्थ वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जिस बाबत अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित भूमि वादग्रस्त के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत निषेधित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि खा. नं. 1600 रकबा 0.50 हे. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें तथा प्रार्थीया को उसके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना करें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथ्यों के समग्र विवेचन से यह प्रदर्शित	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

शांति बनाम रामचन्द्र व अन्य
प्रा.पत्र टी.आई. 54/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28.11.24	होता है कि प्रार्थी (प्रार्थीया) द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्य साक्ष्यों के अधीन विषय है। जिससे वाद का निस्तारण प्रार्थी वादी की विस्तृत साक्ष्य अनुसार तथा प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता के अधीन किया जाना न्यायोचित समझते है। परन्तु चूँकि अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद विधिवत जारी नोटिस व विधिवत सूचना व जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति एवं वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. में उल्लेखित तथ्यों का किसी भी सक्षम / औपचारिक स्तर पर तथा किसी भी रूप में कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते है। अतः न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत तथा सक्षम व मान्य आपत्ति आपत्ति के अभाव के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बिलोंची तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि ओ.ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली ~~बाद~~ फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:13 IST
Reason: SelfAttested